राजस्थान–सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसिया, जिला जोधपुर
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः–132/2018
पीठासीन अधिकारीः– रतनलाल रेगर, आर.ए.एस.

प्रार्थीः– किशनाराम पुत्र उरजाराम जाति जाट निवासी पांचला खुर्द
तहसील तिंवरी जिला
जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीः–तहसीलदार, तिंवरी

उपस्थितिः–
1. श्री रामकिशोर औझा वकील प्रार्थी।
2. अप्रार्थी सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांकः–05.11.2019

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम डउकियों का बास चैराई के खसरा नम्बर 2401 रकबा 36.18 बीघा व खसरा नम्बर 19/1 रकबा 26.10 बीघा ग्राम चण्डालिया में आई हुई है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों की भूलवश खसरा नम्बर 2401 ग्राम डउकियों का बास के राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम किशनाराम के स्थान पर केसूराम व खसरा नम्बर 19/1 ग्राम चण्डालिया के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम केसाराम दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात आधार, कार्ड राशन कार्ड, इत्यादि किशनाराम के नाम से बने हुए है तथा प्रार्थी की अय भूमि डउकियों का बास के खसरा नम्बर 2396/1 के रास्व रेकर्ड मे भी किशनाराम दर्ज है। उक्त सभी दस्तावेजों की प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथसंलग्न है। उक्त राजस्व रेकर्ड मे नाम त्रुटि केवल राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई है, जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अतः खसरा नम्बर 2401 ग्राम डउकियों का बास व खसरा नम्बर 19/1 ग्राम चण्डालिया में प्रार्थी का नाम केसूराम व केसाराम के स्थान पर सही नाम किशनाराम किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:43:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार, तिंवरी ने जवाब पेश कर बताया कि ग्राम उडकियों का बास के खसरा नम्बर 2401 रकबा 36.18 बीघा में प्रार्थी का नाम केसुराम पुत्र उरजाराम जाति जाट सा. पांचला खुर्द दर्ज है। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 में तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड व राशन कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम किशनाराम पुत्र उर्जाराम दर्ज है। अतः उक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का नाम किशनाराम पुत्र उर्जाराम है।

सरकारी पैरोकार ने अपने जवाब में आगे बताया कि ग्राम चण्डालिया के खसरा नम्बर19/1 में प्रार्थी का नाम केसाराम पि. उरजाराम दर्ज है। (जमाबंदी चौशाला 2072–2075), पैन कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक में प्रार्थी का नाम किशनाराम पुत्र उरजाराम दर्ज है। अतिः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों मे प्रार्थी का सही नाम किशनाराम पुत्र उरजाराम है।

बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि प्रार्थी का नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज है, जो प्रस्तुत दस्तावेजात सरकारी पैरोकार के ज़वाब के अनुसार शुद्धिकरण किया जाना न्यायोचित है। सरकारी पैरोकार ने प्रार्थी की इस्तदुआ युक्तियुक्त आधारों पर होने से स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र युक्तियुक्त आधारों पर है, प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का खण्डन नहीं किया गया है, अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को बल मिलता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य समझता हूं।

अतः हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर मनन किया, बहस पर मनन किया, जिस अनुसार हमारा विनिश्चिय यह है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि डउकियों का बास चैराई के खसरा नम्बर 2401 रकबा 36.18 बीघा के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में केसुराम के स्थान पर किशनाराम दर्ज किया जावे तथा खसरा नम्बर 19/1 रकबा 26.10 बीघा ग्राम चण्डालिया के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम केसाराम के स्थान पर किशनाराम राजस्व रेकर्ड में शुद्ध किया जाकर दर्ज किया जावे। तहसीलदार को आदेश दिया जाता है कि निर्णय अनुसार प्रार्थी के नाम की शुद्धि राजस्व रेकर्ड में की जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:43:56 IST
Reason: SelfAttested

(रतनलाल रेगर)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी ओसियां

Scanned by CamScanner